@gov.in Mail Cliq WorkDrive Writer Sh
0000RB0003214627_1715773934416.pdf
Size: 189.1 KB

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 17/2024
GST Circular No. 03/2024

No.2017/AC-II/1/6GSTMAIN/VOL.IV **Date: 15.05.24**

General Managers,
All Zonal Railways/Production Units

Subject: Modification of B2C invoices to B2B invoices.

****

Zonal Railways have been approaching CRIS and Railway Board for correcting invoices from B2C to B2B. Such B2C invoices were wrongly issued for vendors which are registered under GST. It is clarified that correction from B2C invoices to B2B invoices can be made in GST returns.

However, it is important to note that no modifications in a B2C invoice of a FY can be done beyond the month of October following the end of FY to which such an invoice pertains e.g. amendment for FY 2023-24 invoices can be done till the GST returns are filed for the month of October 2024.

Any modifications of B2C invoices to B2B invoices within the prescribed time in the GST returns can be done through GST returns as follows:

- Details of B2B invoices (earlier reported as B2C) shall be added afresh in Table 4 of GSTR-1.
- Outward taxable supplies earlier reported in Table 7 of GSTR-1 shall be amended to zero value (Taxable value as well as IGST/CGST/SGST/UTGST) in Table 10 of GSTR-1.
- Outward taxable supplies earlier reported in Table 5 of GSTR-1 shall be amended to zero value (Taxable value as well as IGST/CGST/SGST/UTGST) in Table 9 of GSTR-1.
- No amendment required in Table 3.1 of GSTR-3B.
- Details of Inter-state supplies to be reported in Table 3.2 of GSTR 3B as "Supplies made to Unregistered Persons" shall be reduced to the extent of the values which were reported earlier in Table 3.2 and is being amended now.

The GST returns for subsequent months to effect the above changes shall be modified by the Zonal Railway/Unit concerned, in consultation with their GST consultants. A proper paper trail for the reason the returns were modified, the approval and related data should be kept filed for future reference.

Signed by
Vipul Tripathi
Date: 15-05-2024 17:21:54
(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to: PFAs All Zonal Railways/P. Units

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 17/2024
जीएसटी परिपत्र सं. 03/2024

सं. 2017/एसी-II/1/6जीएसटी मेन/वॉल्.IV **दिनांक: 15.05.24**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: बी2सी बीजक का बी2बी बीजक में संशोधन।

****

क्षेत्रीय रेलें बी2सी से बी2बी बीजक में सुधार करने के लिए क्रिस और रेलवे बोर्ड से संपर्क कर रही हैं। ऐसे बी2सी बीजक, जो जीएसटी के अधीन पंजीकृत थे, विक्रेताओं के लिए गलत जारी किए गए थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएसटी रिटर्न में बी2सी बीजक से बी2बी बीजक में सुधार किया जा सकता है।

तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी वित्त वर्ष के बी2सी बीजक में कोई भी संशोधन उस वित्त वर्ष के अंत के बाद अक्टूबर महीने के बाद नहीं किया जा सकता है, जिससे ऐसा कोई बीजक संबंधित है। उदाहरणतया वित्त वर्ष 2023-24 के बीजकों में संशोधन अक्टूबर 2024 के महीने के लिए जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत किए जाने तक किया जा सकता है।

जीएसटी रिटर्न में निर्धारित समय के भीतर बी2सी बीजक से बी2बी बीजक में कोई संशोधन जीएसटी रिटर्न के माध्यम से निम्नानुसार किया जा सकता है:

- बी2बी बीजक (पहले बी2सी के रूप में बताया गया) का विवरण जीएसटीआर-1 की तालिका 4 में नए सिरे से जोड़ा जाएगा।
- जीएसटीआर-1 की तालिका 7 में पहले बतायी गई जावक करयोग्य आपूर्तियां जीएसटीआर-1 की तालिका 10 में शून्य मान (करयोग्य मान के साथ-साथ आईजीएसटी/सीजीएसटी/यूटीजीएसटी) में संशोधित की जाएंगी।
- जीएसटीआर-1 की तालिका 5 में पहले बतायी गई जावक करयोग्य आपूर्तियां जीएसटीआर-1 की तालिका 9 में शून्य मान (करयोग्य मान के साथ-साथ आईजीएसटी/सीजीएसटी/यूटीजीएसटी) में संशोधित की जाएंगी।
- जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
- जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.2 में "अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति" के रूप में बताई जाने वाली अंतर-राज्यीय आपूर्तियों का विवरण उन मानों की सीमा तक कम किया जाएगा जो पहले तालिका 3.2 में बताए गए थे और अब इसे संशोधित किया जा रहा है।

उक्त परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए बाद के महीनों के जीएसटी रिटर्नों को संबंधित क्षेत्रीय रेल/इकाई द्वारा अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से संशोधित किया जाएगा। रिटर्न को संशोधित करने के कारण के लिए उचित पेपर ट्रेल, अनुमोदन और संबंधित डाटा भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार।